बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

संख्या-10 / नि०गो०-34 / 2006 - 05

निदेशक, समाज कल्याण।

सभी सहायक निदेशक,
सामाजिक सुरक्षा
सभी जिला)।

पटना-15, दिनांक- 25.1.08

वित्तीय वर्ष 2007-08 में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष उपकरण "मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना" के अधीन विकलांगजनों के लिए विशेष उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलिपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध कराने हेतु कुल रू0 500.00 (पाँच सौ लाख) मात्र का आवंटन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या-143 दिनांक-23.01.2008 के वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार ने योजनान्तर्गत विकलांगो के लिए विशेष उपकरण "मुख्य र्थ्य योजना" के अधीन विकलांगजनों के लिए विशेष उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, कैलिपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि उपलब्ध कराने हेतु कुल रूपये 500.00 लाख (पाँच सौ ये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल रूपये लाख (पांच सौ लाख रूपये) मात्र आवंटित किया जाता है।

स योजना का कार्यान्वयन जिला पदाधिकारी के माध्यम से किया जाना है। वैसे जरूरतमंद व्यक्ति (किसी भी उम्र के अर्थात अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक), जो राज्य सरकार द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किसी निशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत से ग्रस्त हो तथा, वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक का न हो, को इस योजना द्वारा लाभ पहुँचाने का है। सिर्फ चलन निःशक्तता के मामले में अशक्त व्यक्ति की आयु 14 से 60 वर्ष के बीच होनी

भी जिला पदाधिकारी समाचार पत्रों एवं पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से वृहत प्रचार करके जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों से विशेष उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, कैलीपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि प्रदान करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेंगें। साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर, कृत्रिम अंग एवं उपकरण आदि हेतु आवेदन सहायक सामाजिक सुरक्षा के कार्यालय में प्राप्त किया जायगा। निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदनों को र सुपात्र विकलांग व्यक्तियों की एक मास्टर सूची तैयार कर ली जायेगी जिसे प्रत्येक वर्ष या जायेगा। मास्टर सूची का निर्माण निम्नलिखित विवरणी के अनुसार विकलांग व्यक्ति की

आय, विकलांगता का प्रतिशत, जाति, आयु तथा लिंग के आधार पर प्राथमिकता क्रम का निम्नांकित अंक के आधार पर किया जायेगा :

प्राथमिकता निर्धारण की विवरणी

तालिका 1		तालिका-2		तालिका-3		तालिका-4		तालिका-5	
वार्षिक आय (रुपये में)	निर्धारित अंक	विकलांगता का प्रतिशत	निर्धारित अंक	जाति	निर्धारित अंक	आयु (वर्ष में)	निर्धारित अंक	लिंग	निर्धारित अंक
30,000 से कम	10	70% से अधिक	10	अनु० जाति / अनु० जन जाति	10	14-30	10	स्त्री	10
30,000 50,000	8	70% 60%	8	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	8	30-40	8	—	—
50,000-75,000	6	60%-50%	6	पिछड़ा वर्ग	6	40-50	6	पुरुष	5
75,000-1,00,000	4	50%-40%	4	सामान्य	4	50-60	4	—	—

उपर्युक्त प्राथमिकता निर्धारण विवरणी में अंक के आधार पर तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर, कृत्रिम अंग एवं उपकरण आदि हेतु प्राप्त विकलांग व्यक्तियों से आवेदन पत्रों को उनकी अर्हता के अनुरूप आय, विकलांगता का प्रतिशत, जाति, आयु तथा लिंग के आलोक में उन्हे अलग-अलग अंक प्रदान कर जोड़कर एक वरीयता सूची तैयार की जायेगी जिसे "मास्टर सूची" के नाम से जाना जायेगा।

3. स्क्रीनिंग हेतु जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्न प्रकार होगा :-

1. उप विकास आयुक्त — अध्यक्ष
2. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी — सदस्य
3. सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा —सदस्य सचिव
4. रेड क्रॉस सोसायटी, जिला इकाई के प्रतिनिधि —सदस्य

प्राप्त आवेदनों का संकलन, सूचीबद्ध कर मास्टर सूची तैयार करना, प्रत्येक वर्ष मास्टर सूची का अद्यतनीकरण तथा स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित करने का दायित्व संबंधित सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा का होगा। स्क्रीनिंग समिति के द्वारा सूचीबद्ध आवेदन पत्रों में से सुयोग्य विकलांग व्यक्तियों का चयन किया जायेगा तथा इसकी सूची जिला स्थित सभी कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर दिया जायेगा। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठक के माध्यम से विशेष उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि प्रदान करने की सूचना संबधित पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी दी जायेगी। साथ ही चयनित विकलांग व्यक्तियों को भी डाक द्वारा इसकी सूचना दी जायेगी।

3. मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना के अंतर्गत विशेष उपकरण (तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर आदि) एवं कृत्रिम अंग आदि का क्रय "एलिमको, कानपुर", जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार का एक उपक्रम है, से किया जाय। संबंधित जिला पदाधिकारी

की ओर से उक्त अंग एवं उपकरणों के क्रय हेतु एलिमकों, कानुपर को अधियाचना भेजा जायेगा। तिपहिया साईकिल, श्रवण यंत्र, बैशाखी, कैलीपर, कृत्रिम अंग एवं उपकरण आदि का क्रय एलिमको, कानपुर के द्वारा निर्धारित दर (पैकिंग एवं फारवर्डिंग सहित) पर किया जायेगा।

4 राशि की निकासी मुख्य शीर्ष "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण 101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण–0110–विकलांगों के लिए विशेष उपकरण–09 09–सहायक अनुदान" के अन्तर्गत विकलनीय होगी। इस योजना का विपत्र कोड सं0– पी0 2235021010110 है।

5 राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, समाज कल्याण होगें।

6 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998, पत्रांक–2450 एवं दिनांक–17.04.1999, पत्रांक–261 दिनांक–28.03.2000 एवं सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

विश्वासभाजन
25.1.08
(देवोत्तम वर्मा)
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक–10 / वि0यो0–34 / 2006 –05
पटना, दिनांक– 25·1·08

प्रतिलिपि– वित्त विभाग / योजना एवं विकास विभाग / सचिव, समाज कल्याण विभाग / सभी जिला पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं बजट शाखा, समाज कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.1.08
(देवोत्तम वर्मा)
निदेशक, समाज कल्याण।

ज्ञापांक–10 / वि0यो0–34 / 2006 –05
पटना, दिनांक– 25·1·08

प्रतिलिपि– संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.1.08
(देवोत्तम वर्मा)
निदेशक, समाज कल्याण।